644

32

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक प.3(268) नविवि/3/2011 जयपुर, दिनांक 26.07.2012

आदेश

इस कार्यालय की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 03.07.2012 द्वारा केन्द्र सरकार के संगठनों को राज्य में आवंटित की जाने वाली भूमि की दरों के निर्धारण के लिए संबंधित संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है।

केन्द्र सरकार के संगठनों को आंवटित की जाने वाली भूमि की दरों के निर्धारण की अनुशंषा करने के प्रस्तावों का प्रेषण संबंधित सम्भागीय आयुक्त कार्यालय को संबंधित नगरीय निकाय द्वारा किया जावेगा तथा ऐसे प्रस्ताव नगरीय विकास विभाग द्वारा भी संबंधित सम्भागीय आयुक्त को संदर्भित किये जा सकेंगे। प्रस्तावों के प्राप्त होने के पश्चात संबंधित संभागीय आयुक्त 15 दिवस में बैठक का आयोजन कर भूमि की दरों के संबंध में अपनी अभिशंषा राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे। आवेदक संस्था के संबंध में और आवंटित की जाने वाली भूमि के संबंध में आवश्यक जानकारी संबंधित नगर निकाय द्वारा संभागीय आयुक्त एवं कलेक्टर को उपलब्ध कराई जावेगी। आवेदक संस्था के प्रतिनिधि को भी बैठक में आमंत्रित कर उनके पक्ष को सुना जाकर समिति द्वारा निर्णय लिया जावेगा।

संभागीय आयुक्त द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इस हेतु प्राप्त होने वाले प्रकरणों पर दरों के संबंध में अभिशंषा राज्य सरकार को 15 दिवस में प्रेषित कर दी जावे जिससे कि प्रकरणों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब न हों।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(गुरदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजि सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वा. शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वा. शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजि सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
6. आयुक्त , जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
7. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. उप शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
9. सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
10. समस्त संभागीय आयुक्त .... (राजस्थान)
11. समस्त, जिला कलेक्टर.................. (राजस्थान)
12. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को समस्त स्थानीय निकायों को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए।
13. सचिव, नगर सुधार न्यास .... (समस्त)
14. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
15. उप विधि परामर्शी/उप-नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
16. समस्त लिपिक (आवंटन शाखा), नगरीय विकास विभाग।
17. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव-द्वितीय